रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1978/आश्विन 5, 1900
No. 444] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1978/ASVINA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1978

का० आ० 575(अ).—केन्द्रीय सरकार, उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का 11) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) नियम, 1978 है ।

2. परिभाषा—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का 11) अभिप्रेत है ;

(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. स्टेट बैंक और पब्लिक सैक्टर बैंकों द्वारा धारित उच्च मूल्य बैंक नोटों के विनिमय मूल्य का दावा करने की नीति—

(1) धारा 7 के अधीन अपने द्वारा स्वीकृत उच्च मूल्य बैंक नोटों की बाबत प्रतिपूर्ति का दावा करने का इच्छुक स्टेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के निकटतम कार्यालय को उक्त नोट देकर रिजर्व बैंक से उनका विनिमय मूल्य अभिप्राप्त करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के निकटतम कार्यालय को उक्त नोटों को देने का कार्य 1978 के अक्तूबर मास के इक्तीसवें दिन के, जो तारीख रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर तब बढ़ाई जा सकेगी, जब वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, अपश्चात् किया जाएगा ।

4. उच्च मूल्य बैंक नोटों की अभिरक्षा और व्ययन —

(1) सभी उच्च मूल्य बैंक नोट, जिनमें ऐसे नोट भी सम्मिलित हैं, जिनकी बाबत विनिमय मूल्य देने से इन्कार किया गया है या दे दिया गया है निरापद अभिरक्षा के लिए रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के निकटतम कार्यालय को भेजे जाएंगे ।

(2) वे सभी उच्च मूल्य बैंक नोट जिन के बारे में विनिमय मूल्य के दावे स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिये गये हैं और वे सभी उच्च मूल्य बैंक नोट, जो चाहे कि ' भी अन्य प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त हुए हों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रख लिये जायेंगे । इस नियम के अधीन रख लिये ग नोट रिजर्व बैंक द्वारा, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद, नष्ट कर दिये जायेंगे ।

5. धारा 5 के अधीन प्राप्त विवरणियों से बरतने की रीति—

धारा 5 के अधीन प्राप्त प्रत्येक विवरणी की एक एक प्रति रिजर्व बैंक, मुम्बई द्वारा रख ली जाएगी ।

6. घोषणाओं की अभिरक्षा और व्ययन—(1) किसी प्रापक कार्यालय द्वारा (रिजर्व बैंक, मुम्बई के प्रापक कार्यालय से भिन्न) धारा 7 या धारा 8 के अधीन प्राप्त घोषणाओं से निम्नलिखित रीति से बरता जाएगा, अर्थात् :—

(1) यदि उच्च मूल्य बैंक नोटों का विनिमय मूल्य संदत्त कर दिया जाता है तो प्रापक कार्यालय एक प्रति अपने पास रोक लेगा और एक प्रति सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन के लिए रिजर्व बैंक, मुम्बई को तथा एक प्रति सम्बद्ध आय-कर प्राधिकारी को भेजेगा;

(2) यदि उच्च मूल्य बैंक नोटों का विनिमय मूल्य देने से इन्कार किया जाता है तो अन्य एक प्रति घोषणाकर्ता को वापस कर दी जाएगी और एक प्रति संबद्ध आय-कर प्राधिकारी को भेजी जाएगी । तथा अन्य प्रति-प्रापक कार्यालय द्वारा रोक ली जाएगी :

परन्तु प्रापक कार्यालय घोषणा की एक सत्य प्रति सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन के लिए रिजर्व बैंक, मुम्बई को और उसकी एक सत्य केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(2) रिजर्व बैंक, मुम्बई के प्रापक कार्यालय द्वारा धारा 7 या धारा 8 के अधीन प्राप्त घोषणा से निम्नलिखित रीति से बरता जाएगा, अर्थात्—

(1) यदि उच्च मूल्य बैंक नोटों का विनिमय मूल्य संदत्त कर दिया जाता है तो, रिजर्व बैंक, मुम्बई दो प्रतियां अपने पास रोक लेगा और एक प्रति संबद्ध आय-कर प्राधिकारी को भेजेगा

(2) यदि उच्च मूल्य बैंक नोटों का विनिमय मूल्य देने से इन्कार किया जाता है तो एक प्रति घोषणाकर्ता को वापस कर दी जाएगी और एक प्रति संबद्ध आय-कर प्राधिकारी को भेजी जाएगी और अन्य एक प्रति रिजर्व बैंक, मुम्बई द्वारा रोक ली जाएगी :

परन्तु रिजर्व बैंक, मुम्बई घोषणा की एक सत्य प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(3) उप नियम (1) और उप नियम (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त घोषणाओं को रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित किसी भी रीति से निपटाया जा सकेगा अर्थात् :—

(1) वे सभी घोषणाएं, जो विधिक कार्यवाही के अधीन हैं, अगले अनुदेशों तक परिरक्षित रखी जायेंगी ।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमों के अधीन बरते गए उच्च मूल्य बैंक नोटों संबंधी घोषणाएं उस अवधि तक परिरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम के अधीन विभाग मैनुअल विहित की गयी है ।

(3) उन उच्च मूल्य बैंक नोटों संबंधी घोषणाएं, जिनके दावे स्वीकार कर लिये गये हैं और जिनके बारे में कोई विधिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके रिजर्व बैंक द्वारा नष्ट की जा सकती है ।

7. अपीलों को निपटाने की रीति—

(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो रिजर्व बैंक, या आवेदक या दोनों से, अभिलेख या कोई अन्य सूचना मंगवा सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, तत्पश्चात्, अपील के बारे में ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, पारित कर सकेगी :

परन्तु आवेदक को, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का अवसर दिए बिना, इस उपधारा के अधीन पूर्णरूपेण अपील मंजूर करने वाले आदेश से भिन्न कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

[सं० फा० 5/46/78-बी०ओ० I]

कु० कुसुमलता मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1978

S.O. 575(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 (11 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title :—These rules may be called the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Rules, 1978.

2. Defintion :—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act 1978 (11 of 1978);

(b) "section" means a section of the Act.

3. Manner of claiming exchange value of high denomination bank notes held by the State Bank and public sector banks :

(1) The State Bank of a public sector bank seeking to claim reimbursements in respect of high denomination bank notes accepted by it under section 7 shall obtain the exchange value thereof from the Reserve Bank by tendering the said notes to the nearest office of the Issue Department of the Reserve Bank.

(2) The tendering of the said notes to the nearest office of the Issue Department of the Reserve Bank under sub-rule (1) shall not be later than the 31st day of October, 1978 which date may be extended from time to time by the Reserve Bank, if it considers necessary or expedient so to do.

4. Custody and disposal of high denomination bank notes :

(1) All high denomination bank notes, including notes in respect of which claims for exchange value have been refused or made, shall be forwarded to the nearest office of the Issue Department of the Reserve Bank for safe custody.

(2) All high denomination bank notes in respect of which claims for exchange value have been admitted or refused and all high denomination bank notes which may be received for any other purpose whatsoever by the Reserve Bank of India shall be retained by the Reserve Bank of India. The notes retained under the provision of this rule shall be destroyed, after obtaining prior approval from the Central Government by the Reserve Bank.

5. Manner of dealing with returns received under section 5 :

A copy each of the returns received under section 5 shall be retained by the Reserve Bank, Bombay.

6. Custody and disposal of declarations :

(1) The declarations received under section 7 or section 8 by any receiving office (other than the receiving office of the Reserve Bank, Bombay) shall be dealt with in the following manner, namely :—

(i) if the exchange value of the high denomination bank notes is paid, the receiving office shall retain one copy with itself and shall forward one copy each to the Reserve Bank, Bombay, for compilation of statistical data, and to the concerned income-tax authority ;

(ii) if the exchange value of the high denomination bank notes is refused, one copy shall be returned to the declarant and one copy shall be forwarded to the concerned income-tax authority and the other copy shall be retained by the receiving office :

Provided that the receiving office shall forward a true copy of the declaration to the Reserve Bank, Bombay, for compilation of statistical data and a true copy thereof to the Central Government.

(2) The declaration received under section 7 or section 8 by the receiving office of the Reserve Bank, Bombay, shall be dealt with in the following manner, namely :—

(i) if the exchange value of the high denomination bank notes is paid, the Reserve Bank, Bombay, shall retain two copies with itself and shall forward one copy to the concerned income-tax authority

(ii) if the exchange value of the high denomination bank notes is refused, one copy shall be returned to the declarant and one copy shall be forwarded to the concerned income-tax authority and the other copy shall be retained by the Reserve Bank, Bombay :

Provided that the Reserve Bank, Bombay, shall forward a true copy of the declaration to the Central Government.

(3) The declarations received by the Reserve Bank under sub-rule (1) and sub-rule (2) may be disposed by the Reserve Bank in any of the following ways, namely :—

(i) All declarations which are under legal proceedings should be preserved until further instructions.

(ii) Declarations in respect of the high denomination bank notes dealt with under the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules should be preserved for the period prescribed for preservation of other records for such cases under the Issue Department Manual of Reserve Bank of India.

(iii) The declarations in respect of the high denomination bank notes for which claims have been admitted and for which no legal proceedings are pending may be destroyed after obtaining prior approval from the Central Government by the Reserve Bank.

7. Manner of disposal of appeals :

(1) On receipt of an appeal under sub-section (3) of section 8, the Central Government may, if it considers it necessary so to do, call for the records or any other information from the Reserve Bank, or the applicant, or both.

(2) The Central Government may thereafter pass such order on the appeal as it deems fit :

Provided that no order other than an order allowing the appeal in full shall be made under this sub-section without giving the applicant an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

[No. F. 5/46/78-BO. I]

KM. KUSUM LATA MITAL, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978